बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

संं0स0 5/का0क्षे0–10–03/2013–

आदेश

विभागीय पत्रांक 529 दिनांक 13.06.2013 के अनुसार 10 (दस) करोड़ रूपये के लागत से अधिक लागत वाले योजना का तकनीकी–अनुमोदन तथा प्रावैधिक (तकनिकी) स्वीकृति का अधिकार मुख्य अभियंता, केन्द्रीय रूपांकण एवं शोध पटना में निहित रहेगा।

इस प्रयोजनार्थ मुख्य अभियंता, केन्द्रीय रूपांकण एवं शोध पटना का पुर्नगठन निम्न प्रकार किया जाता है:–

"वर्तमान में मुख्य अभियंता, जल विज्ञान एवं योजना आयोजन, पटना के नियंत्राणाधीन संयुक्त निदेशक जल विज्ञान निदेशालय पटना को अधीनस्थ प्रमण्डलों के साथ (इन कार्यालयों में कार्यरत पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों सहीत) यथा स्थिति मुख्य अभियंता, केन्द्रीय रूपांकण एवं शोध पटना के नियंत्रणाधीन किया जाता है। स्पष्टतः इन कार्यालयों पर अब मुख्य अभियंता, जल विज्ञान एवं आयोजन, पटना का नियंत्रण नहीं रहेगा।

मुख्य अभियंता, केन्द्रीय रूपांकण एवं शोध पटना के नियंत्रणाधीन पूर्व से कार्यरत अन्य अचलों के अतिरिक्त उक्त जल विज्ञान निदेशालय,पटना भी कार्यशील रहेगा।"

2. उक्त प्रयोजनार्थ विभिन्न अंचलों के अधीन विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन की तकनीकी जॉच/योजनाओं के प्राक्कलन के तकनीकी अनुमोदन एवं तकनीकी स्वीकृति हेतु कार्य क्षेत्र निम्नप्रकार होगा:–

(क) जल विज्ञान निदेशालय, पटना द्वारा जल विज्ञान आंकडों का संकलन एवं विश्लेषण के साथ–साथ विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन की जॉच एवं वांछित सुधार का कार्य भी किया जायगा। अर्थात, जल विज्ञान निदेशालय,पटना को विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन की जॉच का दायित्व भी सौपा जाता है। यह पूर्व से आवंटित कार्यभार के अतिरिक्त होगा।

(ख) बाढ़ परिक्षेत्र से संबंधित कटाव निरोधक योजनाओं की तकनीकी अनुमोदन एवं तकनीकी स्वीकृति बाढ़ नियंत्रण रूपांकण अंचल, पटना के माध्यम से किया जायेगा। यह पूर्व से आवंटित कार्यभार के अतिरिक्त होगा।

(ग) अन्य परियोजनाओं का तकनीकी अनुमोदन एवं तकनीकी स्वीकृति निम्नप्रकार केन्द्रीय रूपांकण एवं शोध , पटना के वर्तमान अंचलों के द्वारा किया जायेगा।

1. नहर एवं नहर संचरना रूपांकण अंचल, पटना –बाल्मीकिनगर, मुजफफरपुर, सिवान, समस्तीपुर

(ii) बॉध एवं गेट रूपांकण अंचल, पटना– पटना ,गया, औरंगावाद, डिहरी एवं भागलपुर

(iii) डैम सुरक्षा प्रकोष्ठ, पटना– दरभंगा, बीरपुर, पुर्णियॉ

यह पूर्व से आवंटित कार्यभार के अतिरिक्त रहेगा

3. उपरोक्त के अनुरूप प्रमण्डलों/ अवर प्रमण्उलों (कार्यपालक अभियंता/सहायक अभियंता) के बीच विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन/योजनाओं का प्राक्कलन का वितरण मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता द्वारा आवश्यकता के अनुसार तात्कालीक कार्य–भार को देखते हुए किया जायेगा

4. उपरोक्त पर विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

5. इस संबंध में पूर्व से निर्गत आदेश इस हद तक संशोधित समझे जायेगें।

6. यह आदेश तुरत प्रभावी होगा।

ह0/–

(सुशील कुमार सिंह)

संयुक्त सचिव(प्रबंधन)

ज्ञापांक स0 5/का0क्षे0–10–03/2013– पटना/दिनांक–

प्रतिलिपि महालेखाकार, बिहार, बीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

(सुशील कुमार सिंह)

संयुक्त सचिव(प्रबंधन)

ज्ञापांक स0 5/का0क्षे0–10–03/2013– 1930 पटना/दिनांक– 18.7.13

प्रतिलिपि माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग के आप्त सचिव, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना। प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग/ सभी अभियंता, प्रमुख/सभी मुख्य अभियंता,बिहार/विशेष सचिव/सभी संयुक्त सचिव/सभी उप सचिव/सभी अवर सचिव (प्रबंधन सहित) जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/ प्रभारी एम0आई0 सेल को डाटा संधारण हेतु/ प्रभारी कम्प्युटर कोषांग के साइट पर प्रकाशन हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सुशील कुमार सिंह 17/07/13

(सुशील कुमार सिंह)

संयुक्त सचिव(प्रबंधन)

(8)

प्रभारी कम्प्युटर-कोषांग